



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-2980-अ0प्र0-07/पाकालि/20-25-अ0प्र0-07/20

दिनांक 28/11/2020

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 40% प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम ट्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/वरि0क्र0	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात तैनाती हेतु आवृत्ति डिस्कॉम/इकाई	आवृत्ति अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
1	श्री पवन कुमार/श्री चन्द्रभान वि0/01.03.79/बागपत/9890	वि0न0वि0खं0-प्रथम, गाजियाबाद	पश्चिमांचल	2020299

- इस आदेश द्वारा प्रोन्नत किये जा रहे अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर एकल पारस्परिक वरिष्ठता सूची चयन चयन वर्ष 2020-21 में सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यां0) की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयनित होने वाले सहायक अभियन्ताओं के साथ 'Amalgamate' करते हुए घोषित की जायेगी।
- सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-
 - अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध यदि कोई विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुरतिका में कर दिया गया है।
 - यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0 ज्ञाप0 में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अभियन्ता, इस आदेश के निर्गत होने से **एक माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उपरोक्त अभियन्ता की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।

Sejha

6. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-2980-अ०प्र०-07/पाकालि/2020/तददिनांक (28.11.2020)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को क्रमशः पत्रांक-744-अनु०-01/सहा०अभि०/पदो०, दिनांक 29.10.2020 एवं पत्रांक-805-अनु०-01/सहा०अभि०/पदो०, दिनांक 19.11.2020 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
8. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप सचिव (अ०प्र०-03/04/गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अनुभाग अधिकारी (अ०प्र०-03/04), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
14. उपरोक्त प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (03/04), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (ds0304uppc1@gmail.com / uppc1js02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार (vetanlekha@gmail.com) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
15. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)

21